अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2021 (GCMS 2021/77) (RTI –212440364414378) सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह मार्फत सुरेन्द्र मेडिकल स्टोर, चौतीना कुआं, बीकानेर (मो.नं. 98281–21812) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

16.11.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित नहीं हुआ। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र (प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न नहीं) से तहसीलदार, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2021 को पेश की है।

मैनें **पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र (अपील में अंकितानुसार) के द्वारा निम्न सूचना चाही थीः

> गांव चक 226 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 173/45 के लिए तहसीलदार, सूरतगढ के नामान्तरण के सन्दर्भ में जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर को पत्र संख्या 545/29.08.2011 को तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा पत्र लिखा गया। उक्त पत्र के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की सूचना की प्रति सूचना में प्रदत्त की जावे।

इस कार्यालय के पत्रांक 631 दिनांक 18.06.2021 से तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ से अपील के जवाब/टिप्पणी चाही गई थी, जिसका जवाब आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ का दिया जवाब की प्रति संलग्न की है जिसके अनुसार तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने पत्रांक सू.का.अ./2021/369 दिनांक 19.03.2021 अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार प्रा. पत्र के साथ तहसील कार्यालय सूरतगढ से जारी पत्रांक 545 दिनांक 29.08.2011 की चित्रप्रति प्रेषित कीह है तथा इस पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई है। अतः आपको इस विषय में सूचित किया जाता है कि पत्र का अवलोकन अनुसार प्रकरण विभिन्न अदालतों में विचाराधीन रहा है व काफी पुराना भी है। अतः पत्र में अंकित अनुसार मार्गदर्शन जिला कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तिम पत्राचार 2011 के पश्चात 9 वर्ष बाद आप द्वारा कार्यवाही की मांग की जा रही है। ''सूचना का अधिकार अधिनियम में चाही गई सूचनाएँ रिकॉड में जैसी है, उसी अनुरूप दी जा सकती हैं जबकि आप द्वारा 9 वर्ष पुराने प्रकरण मे क्या कार्यवाही की गई है अथवा नहीं की तलाश कर सूचना चाही गई है जो देय नहीं हैं

प्रार्थना पत्र नत्थी पत्रावली किया गया है। कृपया सूचित रहे।

तहसीलदार (भू.अ.)
सूरतगढ

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा प्रार्थी को उक्तानुसार दिनांक 19.01.2021 से दिया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:02 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अभिलेख का उसे अवलोकन करवा देवें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार यदि सूचना देय हो तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:02 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर